संख्या-6/2019/वे0आ0-2-729/दस-2019-62(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक : 04 नवम्बर, 2019**

विषय– वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 5400) के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था में संशोधन।

महोदय,

सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) विषयक शासनादेशों के अन्तर्गत सामान्यतया निर्धारित समयावधि की सेवा पर अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के पूर्ण होने की दशा में वेतन मैट्रिक्स के अगले लेवल/अगले ग्रेड पे का क्रमश: तीन लाभ अनुमन्य होता है। तथापि ऐसे प्रकरण संदर्भित होते रहते हैं, जहां वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 5400) के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 8700) से भी ऊपर के वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स लेवल को वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) के रूप में अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित/विचारधीन होता है।

2- उक्त के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय द्वारा वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 5400) के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों के संदर्भ में ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु विद्यमान शासनादेश संख्या-वे0आ0-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014, शासनादेश संख्या-08/2015-वे0आ0-2-190/दस-62(एम)/2008टी0सी0-1, दिनांक 03 मार्च, 2015 एवं शासनादेश संख्या-50/2015-वे0आ0-2-871/दस-62(एम)/2008, दिनांक 26 अगस्त, 2015 में निम्नवत् संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है :-

(क) इस प्रकार के शासकीय सेवक की पदोन्नति यदि उनकी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पहले ही किसी ऐसे पद पर हो जाती है जिसका वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 6600) या उससे उच्च है तो उन्हें प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय नहीं रह जायेगा।

.....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ख) इस प्रकार के शासकीय सेवक की पदोन्नति यदि उनकी 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पहले ही किसी ऐसे पद पर हो जाती है जिसका वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 7600) या उच्च है तो उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय नहीं रह जायेगा।

(ग) इस प्रकार के शासकीय सेवकों की पदोन्नति यदि उनकी 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पहले ही किसी ऐसे पद पर हो जाती है जिसका वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 8700) या उससे उच्च है तो उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय नहीं रह जायेगा।

(घ) उक्त उप प्रस्तरों (क), (ख) एवं (ग) से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के शासकीय सेवकों को किसी भी दशा में ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 8700) से उच्च वेतनमान/ वेतन मैट्रिक्स लेवल का लाभ अनुमन्य नहीं होगा और यदि उनकी पहली पदोन्नति ही सीधे मैट्रिक्स लेवल-12 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 7600) के पद पर होती है तो उन्हें प्रथम और द्वितीय ए0सी0पी0 देय नहीं रह जायेगी तथा यदि पहली पदोन्नति ही वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 8700) के पद पर होती है तो उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कोई भी ए0सी0पी0 देय नहीं रह जायेगी।

(ड) इस प्रकार के शासकीय सेवकों का वेतन यदि उनके कनिष्ठ को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होने के कारण कनिष्ठ से कम हो जाता है तो वरिष्ठ को वेतन बराबरी का लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

3- उक्त आदेश के फलस्वरूप उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014, दिनांक 03 मार्च, 2015 एवं दिनांक 26 अगस्त, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा इन शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

4- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-6/2019/वे0आ0-2-729(1)/दस-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)-I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

.....3/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

`

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।